



कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
Employees Provident Fund Organisation

श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्यकार्यालय/ HEAD OFFICE



एन.बी.सी.सी. सेंटर, ब्लॉक-2, ग्राउंड फ्लोर- 4th फ्लोर, ईस्ट किडवाई नगर, नई दिल्ली -110023
NBCC Centre, Block-2, Ground Floor- 4th Floor, East Kidwai Nagar, New Delhi-110023
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

संख्या एचआरएम-1/ए-8(1)2025/आरपीएफसी-1/ 685

दिनांक: 01 जुलाई 2025

कार्यालय आदेश

विषय: तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 के पद पर पदोन्नति के संबंध में।

क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 के पद पर पदोन्नति के लिए 12.02.2025 को हुई विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की सिफारिश पर, माननीय अध्यक्ष, सीबीटी, ईपीएफ श्री बी राहुल कुमार (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-II), श्री बिजयंत कुमार, (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -II) और श्री संजय सिंह गुर्जर (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -II) को पैनल वर्ष 2025 के लिए तदर्थ आधार पर वेतन मैट्रिक्स के स्तर 12 में क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 के पर नियुक्ति को मंजूरी देते हैं।

2. तदर्थ पदोन्नति पर, अधिकारी की तैनाती का स्थान निम्नानुसार होगा :

नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	तैनाती का स्थान
बी राहुल कुमार	क्षेत्रीय कार्यालय तिरुवल्लूर
बिजयंत कुमार	अगले आदेश तक यथावत
संजय सिंह गुर्जर	क्षेत्रीय कार्यालय सूरत

3. पदोन्नति, सीलबंद लिफाफे के मामलों के कारण उपलब्ध रिक्तियों के विरुद्ध, तदर्थ आधार पर होगी जब तक की सीलबंद लिफाफे के मामलों का निपटारा नहीं हो जाता या ग्रेड में नियमित रिक्तियां उत्पन्न नहीं हो जातीं, जो भी पहले हो। यदि किसी अधिकारी, जिसकी सिफारिश सीलबंद लिफाफे में है, को दोषमुक्त कर दिया जाता है और सीलबंद लिफाफा खोला जाता है और अधिकारी पदोन्नति के लिए उपयुक्त पाया जाता है, तो उसे पदोन्नति में प्राथमिकता दी जाएगी, यदि कोई हो और यदि इस अधिकारी के लिए कोई रिक्ति नहीं है, तो सबसे कनिष्ठ अधिकारी को रिवर्ट कर दिया जाएगा।

4. वेतन निर्धारण के संबंध में, निम्नलिखित डीओपीटी दिशानिर्देशों का पालन किया जाएगा:

“ऐसे मामलों में जहां तदर्थ पदोन्नति के बाद बिना किसी रुकावट के नियमित नियुक्ति हो जाती है, वहां विकल्प प्रारंभिक नियुक्ति या पदोन्नति से स्वीकार्य है तथा इसका प्रयोग ऐसी नियुक्ति की तिथि से एक माह के भीतर किया जाना है।”

5. यह नियुक्ति अन्य सभी पात्र अधिकारियों की वरिष्ठता और नियमित आधार पर पदोन्नति के दावे पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना होगी तथा इससे उन्हें न तो नियमित आधार पर पदोन्नति और न ही वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार प्राप्त होगा।

6. क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त-1 के रूप में अधिकारी की कार्यभार ग्रहण रिपोर्ट, एचआरएम, मुख्यालय को ईमेल rc1.hrm@epfindia.gov.in के माध्यम से भेजी जाएगी। इसके अलावा, इसे एचआर-सॉफ्ट पोर्टल पर भी अपडेट किया जाएगा।

7. उपर्युक्त अधिकारी की पदोन्नति माननीय कैट, पटना के समक्ष दायर ओए संख्या 435/2021 (संबंधित एमए) और माननीय कैट, पटना पीठ के समक्ष दायर सीपी संख्या 19/2024 के परिणाम के अधीन है।

(सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी)

शाहिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम-1)

सेवा में,

श्री बी राहुल कुमार (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -II)

[आंचलिक कार्यालय, चेन्नई एवं पुडुचेरी के माध्यम से]

श्री बिजयंत कुमार, (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -II)

[आंचलिक कार्यालय, ठाणे के माध्यम से]

श्री संजय सिंह गुर्जर (क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त -II)

[आंचलिक कार्यालय, गुजरात के माध्यम से]

प्रतिलिपि: (ईपीएफओ वेबसाइट के माध्यम से)

i. माननीय अध्यक्ष, कें.न्यास.बो., क.भ.नि के निजी सचिव।

ii. सचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव।

- iii. केंद्रीय भ.नि. आयुक्त के निजी सचिव।
- iv. वित्त सलाहकार एवं मुख्य लेखा अधिकारी/मुख्य सतर्कता अधिकारी/सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त(मुख्यालय)/निदेशक (पीडीनास) के निजी सचिव ।
- v. सभी अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय एवं अंचल/मुख्य अभियंता।
- vi. सभी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त प्रभारी (सभी क्षेत्रीय कार्यालय)/ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (प्र.से.प्र.), मुख्यालय/ क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (एनडीसी)।
- vii. मुख्यालय के सभी अधिकारी।
- viii. सभी उप निदेशक (सतर्कता)/आंचलिक लेखापरीक्षा दल/क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त, आंचलिक प्रशिक्षण संस्थान।
- ix. महासचिव, क.भ.नि. अधिकारी संघ, लुधियाना।
- x. संबंधित अधिकारी की व्यक्तिगत फाइल।
- i. एसीआर/जीआईएस अनुभाग, मुख्यालय गार्ड फाइल।

शारिक

(मोहम्मद शारिक)

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त-1 (एचआरएम-1)